संoसंo—9/आ0—03—09/2023 1164 (9) 03.11.25

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डॉ० अशोक कुमार, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पश्चिम चम्पारण, बेतिया** के विरूद्ध दिनाक—01.01.2016 से 12.07.2021 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने जैसा कि आरोप—पत्र मे अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने सकल्प किया है कि उक्त **डॉ० कुमार** के विरूद्ध अनुबध में वर्णित आरोपो के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2 विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के अधीन **डॉ० राजेन्द्र चौधरी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—09, स्वास्थ्य विभाग** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3 **डॉ० कुमार** से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि सचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वय उपस्थित हो।

4 इसमे माननीय स्वास्थ्य मत्री जी की सहमति प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प एक प्रति सचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एव आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31/10/2025

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांकः—9/आ0—03—09/2023(स्वा0) 1164 (9) / **पटना, दिनांक :** 03.11.25

प्रतिलिपिः—आरोप पत्र एव साक्ष्यों की प्रति सहित डॉ० राजेन्द्र चौधरी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेगे।

31/10/2025

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आ0—03—09/2023(स्वा0) 1164 (9) / **पटना, दिनांक :** 03.11.25

प्रतिलिपिः—आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—09, स्वास्थ्य विभाग (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/10/2025

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आ0—03—09/2023(स्वा0) 1164 (9) / **पटना, दिनांक :** 03.11.25

प्रतिलिपिः—डॉ० अशोक कुमार, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 अनुरोध है कि इसकी एक अतिरिक्त प्रति आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी को तामिला कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः—आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31/10/2025

सरकार के अवर सचिव।